Economic Times पृ 2
23.1.14

फूड सेफ्टी लाइसेंस की डेडलाइन बढ़ाने की डिमांड तेज

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली]

फूड प्रोसेसिंग यूनिटों और ट्रेड एसोसिएशंस ने फूड लाइसेंस लेने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। लाइसेंस लेने के लिए 4 फरवरी की डेडलाइन तय की गई थी। आंत्रप्रेन्योर्स ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) के अधिकारियों के अलावा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और राजनीतिक स्तरों पर भी इसके लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ट्रेड एसोसिएशंस इस मसले पर आने वाले दिनों में मुहिम चलाने की योजना बना रही हैं।

नए फूड सेफ्टी कानून के तहत 12 लाख रुपये सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को एफएसएसआई से लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिटों के लिए लाइसेंस लेने की अलग-अलग शर्तें तय की गई हैं। सालाना 2500 मीट्रिक टन या इससे ज्यादा मिल्क की प्रोसेसिंग करने वाली यूनिटों को लाइसेंस लेना है। वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चर या प्रोसेस करने वाली यूनिटों के लिए लाइसेंस से छूट की सीमा 2 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इसके अलावा 500 किलोग्राम से ज्यादा का मीट प्रोसेस करने वाली यूनिटों के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी तरह के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स या डीलर्स को भी या तो एफएसएसआई से लाइसेंस लेना है या फिर 12 लाख से कम टर्नओवर पर राज्यों के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना है।

दिल्ली-एनसीआर में 2000 ग्रेन मिलर्स हैं, जिनका टर्नओवर इससे ज्यादा है, जबकि डेयरी, वेजिटेबल ऑयल, मीट प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के काम में करीब 3000 कंपनियां लगी हैं। दिल्ली वेजिटेबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सेक्रेट्री हेमंत गुप्ता ने कहा ' हमने अथॉरिटी को लिखकर कहा है कि छोटे इंपोर्टर और डीलर अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कानून के नए नॉर्म्स का पालन करने की स्थिति में नहीं हैं और इसके लिए डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए।'

नोएडा में मिल्क चिलिंग और डेयरी प्रोसेसिंग से जुड़ी फर्म गीगल क्रीमी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर गोयनका ने बताया, 'लाइसेंस लेने से ज्यादा चिंता कंप्लायंस प्रॉसेस है। माइक्रो और स्मॉल यूनिटों के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे अपने ह्यूमन रिसोर्स को नए कानून के तहत ट्रेंड या मेंटेन कर सके। ऐसे में उन पर कड़ी बंदिशें लगाने से कामकाज ही ठप हो जाएगा।'

4 फरवरी है डेडलाइन

लाइसेंस लेने के लिए 4 फरवरी की डेडलाइन तय की गई थी। डेडलाइन बढ़ाने के लिए ट्रेड एसोसिएशंस इस मसले पर आने वाले दिनों में मुहिम चलाने की योजना बना रही हैं

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से भी एफएसएसएआई और मिनिस्ट्री से गुजारिश की गई है कि 4 फरवरी की डेडलाइन कम से कम अगले एक साल के लिए टाल दी जाए। अथॉरिटी ने 2011 में कानून लागू होने के बाद एक साल का ग्रेस पीरियड दिया था। अगस्त 2012 तक सभी बिजनेस ऑपरेटर्स से लाइसेंस लेने को कहा गया था। लेकिन बाद में इसे छह महीने आगे 4 फरवरी 2013 तक के लिए खिसका दिया गया। लेकिन इंडस्ट्री में कड़े विरोध के चलते इसे एक साल और आगे बढ़ाकर 4 फरवरी 2014 कर दिया गया। अथॉरिटी कहती रही है कि वह आगे डेडलाइन नहीं खिसकाएगी।